FORM- I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Dehradun

No. 1375/DLRC/2022 Date: 22/11/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **19.8345 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India, Dehradun** for **Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur)** in the district of Dehradun falls within jurisdiction of **Athoorwala** village in **Doiwala Tehsil, Ranipokhari Grant, Badkotmafi, Rishikesh** villages in **Rishikesh Tehsil**.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **19.8345 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …………………..

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c. The proposal does not involve recognized right of primitive Trible Groups and preagricultural communities.

प्रति हस्ताक्षरित

Divisional Forest Officer
Dehradun

District Magistrate
District Level committee

Sub Divisiona Magistrate
Doiwala, Dehradun

Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

District Social Welfare
Department Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of ....SONIKA..............., IAS, **District Magistrate** on dated 08-09/2022 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in mail area measuring **19.8345 Hectare** for the **Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 (km 0.000 to km 20.600)** in the State of Uttarakhand of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of **Doiwala and Rishikesh** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend and above case for diversion of land for the said purposed.

Place:
Date:

Divisional Forest Officer
Dehradun

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून

प्रति हस्ताक्षरित

District Magistrate
District Level committee

जिलाधिकारी
देहरादून

Sub Diviziona Magistrate
Doiwala, Dehradun

उप जिलाधिकारी
डोईवाला

Sub-Divisional Magistrate
Rishikesh, Dehradun

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

District Social Welfare
Department Dehradun

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

74

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक :- 1375/DLRC/2022 दिनांक 22/11/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08-07-2022 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **19.8345 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति– डोईवाला एवं ऋषिकेश द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी डोईवाला एवं ऋषिकेश की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **19.8345 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के तिमली रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– डोईवाला एवं ऋषिकेश की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

प्रति हस्ताक्षरित

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

उपजिलाधिकारी
डोईवाला, देहरादून

उप जिलाधिकारी
डोईवाला

उपजिलाधिकारी
ऋषिकेश, देहरादून

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्र0सं0 **दिनांक**

प्रतिलिपिः–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्तविहार, देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways)
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

75

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला एवं ऋषिकेश के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु **कुल 19.8345 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

प्रति हस्ताक्षरित

उपजिलाधिकारी डोईवाला, देहरादून उप जिलाधिकारी डोईवाला	उपजिलाधिकारी ऋषिकेश, देहरादून उप जिलाधिकारी ऋषिकेश	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून प्रभागीय वनाधिकारी	जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड जिलाधिकारी देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून
जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – डोईवाला

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, डोईवाला,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील– डोईवाला) की दिनांक 01.09.22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री युक्ता मिश्र उपजिलाधिकारी डोईवाला (देहरादून) अध्यक्ष 01/9/22
2. श्री अनिल सिंह रावत उप प्रभागीय .... सदस्य
3. श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री राजेश भट्ट बी0डी0सी0 क्षेत्र ....

उप जिलाधिकारी; उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग; सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - डोईवाला, देहरादून; राजेश भट्ट (सभासद) वार्ड नं0–7, जौलीग्रान्ट अठूरवाला नगर पालिका परिषद डोईवाला देहरादून (उत्तराखण्ड)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि मे से 0.3049 है0 भूमि भानियावाला–2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है। यह कि कुल भूमि 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड डोईवाला, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि0मी0 0.000 से कि0मी0 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एंव सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

01/9/22

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डोईवाला
जनपद–देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01/09/22

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– डोईवाला
जनपद–देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

राजस्व ग्राम का नाम– कान्हरवाला

तहसील– डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 **वन भूमि मे से 0.3049 है0 भूमि भानियावाला–2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है।** वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम मौजा कान्हरवाला द्वारा दिनांक 22/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा/ राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम कान्हरवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

5/9/22

ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं0 -10, भानियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे0दून
मो0 - 9759531740

राजेश भट्ट (सभासद)
वार्ड नं0–7, जौलीग्रान्ट अठूरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान

जयपाल सिंह रावत
रा0उ0नि0
क्षेत्र कान्हरवाला
तहसील डोईवाला
जिला–देहरादून

बलविन्दर सिंह (सभासद)
वार्ड नं0 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-वसन्त विहार, देहरादून

79

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 22/08/2022 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति**

~~**ग्राम पंचायत**~~ नगर पालिका **का नाम** – कान्हरवाला

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नरेन्द्र सिंह नेगी [illegible]	[signature]
2.	विनोद कुमार [illegible] S/o जानकी प्रसाद	विनोद कुमार
3.	रमेश चन्द भट्ट S/o स्व0 श्री रामप्रसाद भट्ट	[signature]
4.	भरत चमोला पुत्र जे.पी चमोला	[signature]
5.	नरेन्द्र उनियाल पुत्र स्व0 मोहनलाल उनियाल	नरेन्द्र उ0
6.	मनोज सिंह S/o [illegible] सिंह	[signature]
7.	ओमप्रकाश [illegible]	[signature]
8.	सुरेन्द्र सिंह वर्मा	[signature]
9.	Jagdish Sachriyal	[signature]
10.	MANISH GUPTA	[signature]
11.	आनन्द सिंह रौथाण	[signature]
12.	केशव वर्मा	[signature]
13.	ज्योतिप्रकाश कोठारी	[signature]
14.	पृथ्वीपाल सिंह [illegible]	[signature]
15.	सुरेन्द्र बिष्ट	[signature]
16.	जे.एस. सिंह चौहान	[signature]

[signature] 25/8/2022
हिमांशु राणा (सभासद)
वार्ड नं0–3, कान्हरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला

[signature]
जयपाल सिंह रावत
रा0उ0नि0
क्षेत्र.......[illegible]
तहसील.......[illegible]
जिला–देहरादून

[signature] 24/08/2022
ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं0 - 10, भानियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे0दून
मो0 - 9759531740

[signature] 22/08/2022
बलविन्दर सिंह (सभासद)
वार्ड नं0 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

80

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
17-	कुशल पाल सिंह चौहान	कुशल
18	कुंवर सिंह चौहान	कुंवर
19	पूरण सिंह चौहान	पूरणचंद
20	Parwindra singh chuhan	Parwindra
21	Raimal Bhatt	[illegible]
22	KARAN	[illegible]

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-दस्त विहार, देहरादून

24/8/2022
हिमांशु राणा (सभासद)
वार्ड नं0–3, कान्हरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला

जयपाल सिंह रावत
रा०उ०नि०
क्षेत्र........
तहसील........
जिला–देहरादून

24/08/2022
ईश्वर सिंह (सभासद)
वार्ड नं० -10, भानियावाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, दे०दून
मो० - 9759531740

22/08/2022
बलविन्दर सिंह (सभासद)
वार्ड नं0 2, आर्यनगर
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

81

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

राजस्व ग्राम का नाम– जौली आठूवाला

तहसील– डोईवाला जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 **वन भूमि मे से 0.3049 है0 भूमि भानियावाला–2बी बडकोट रेंज के अन्तर्गत आती है।** वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में राजस्व ग्राम जौली आठूवाला द्वारा दिनांक 26/08/22 को सम्पन्न ग्राम सभा / राजस्व ग्राम की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि राजस्व ग्राम जौली आठूवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

राजेश भट्ट (सभासद)
वार्ड नं0–7, जौलीग्रान्ट अठूरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला
देहरादून (उत्तराखण्ड)

ग्राम सचिव

जयपाल सिंह रावत
रा0उ0नि0
क्षेत्र........
तहसील........
जिला–देहरादून

ग्राम प्रधान

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–बसन्त विहार, देहरादून

82

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 26/08/2022 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति**

राजस्व ग्राम ~~पंचायत~~ का नाम – जौली ग्रान्ट (?) जाखनवाला (?)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	पृथ्वीराज सिंह चौहान	[signature]
2.	पुष्कर सिंह बिष्ट	P.S. Bist
3.	दिनेश सजवाण	[signature]
4.	गोपाल सिंह सजवाण	[signature]
5.	प्रेमा कण्डवाल	[signature]
6.	[illegible] नेगी	[illegible]
7.	नवीन कोठियाल	[signature]
8.	C.M. Kothiyal	[signature]
9.	सत्ये सिंह बिष्ट	सत्ये
10.	ओंकार नेगी	ओंकार सिंह
11.	[illegible] भट्ट	[signature]
12.	मधु उपाध्याय	मधु उपाध्याय
13.	रमेश थपलियाल	रमेश
14.	सरोप सिंह	[signature]
15.	राजकुमार शर्मा	राजकुमार
16.	प्रदीप	[signature]

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Road Transport & Highways
परि0का0इ0-सहस्त्र विहार, देहरादून

जयपाल सिंह रावत
रा0उ0नि0
क्षेत्र जौलीग्रान्ट
तहसील डोईवाला
जिला–देहरादून

राजेश भट्ट (सभासद) भाजपा
वार्ड नं0-7, जौलीग्रान्ट, अठूरवाला
नगर पालिका परिषद डोईवाला, देहरादून

83

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

सेवा मे,

जिलाधिकारी,

देहरादून।

संख्याः– 493/एस0पी0ए0–/विविध पत्रा0 2022 दिनांक 17 अगस्त, 2022

विषय– **उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला देहरादून से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन किमी0 0.000 से किमी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण देहरादून को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में**

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त विषयक सम्बन्ध में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। उक्त बैठक में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत तहसील ऋषिकेश की 03 ग्राम पंचायतों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये, अनापत्ति प्रमाण मूल रूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,
16/8/22

उपजिलाधिकारी,
ऋषिकेश।

उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि- परि० निदेशक, NHAI, दे०दून,

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-बसन्त विहार, देहरादून

84

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – ऋषिकेश

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, ऋषिकेश,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून / प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–ऋषिकेश) की दिनांक 08/8/022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

5. श्री शैलेन्द्र सिंह नेगी उपजिलाधिकारी ऋषिकेश (देहरादून) अध्यक्ष
6. श्री [illegible] उप प्रभागीय [illegible] सदस्य
7. श्री महेश प्रताप सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी
8. श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र [illegible]

उप जिलाधिकारी ऋषिकेश

सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड - डोईवाला, देहरादून

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0)

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-[illegible] विहार, देहरादून

अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड ऋषिकेश, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऋषिकेश,
जनपद–देहरादून
उप जिलाधिकारी
ऋषिकेश

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– ऋषिकेश,
जनपद–देहरादून

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी०आई०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

076

प्रपत्र — 23

परियोजना का नाम — उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई — 20.600 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम— रानीपोखरी ग्रान्ट

तहसील— ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रानीपोखरी ग्रान्ट द्वारा दिनांक 8/8/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रानीपोखरी ग्रान्ट के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव 8/8/022
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र... बड़कोट माफी
दि0... 08/08/2022

ग्राम प्रधान
ग्राम सभा, रानीपोखरी ग्रान्ट
वि0 ख0 डोईवाला, जिला देहरादून
ग्राम प्रधान

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-समन्त विहार, देहरादून

87

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 8/8/2022 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति**

ग्राम पंचायत का नाम – रानीपोखरी ग्रान्ट

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	श्री ज्ञान किशोर भट्ट	[signature]
2.	सोनी पवार w/o रावड़ा	सोनी
3.	श्रीमती दमयन्ती डबराल	Damyanti
4.	श्री वीर सिंह चमोली	वीर सिंह
5.	विकास रावत	विकास रावत
6.	वन्दना	Vandana
7.	श्रीमती सरस्वती देवी / गम्भीरचन्द्र (कोठारी)	सरस्वती देवी
8.	श्रीमती आरती देवी / कमलेश भट्ट	आरती देवी
9.	दीपक कुमार	दीपक
10.	मदन सिंह	मदन सिंह
11.	श्री पिताम्बर सिंह	[signature]
12.	विनय कुमार	विनय कुमार
13.	रवि कुमार	रवि कुमार
14.	प्रवीण कुमार कश्यप	[signature]
15.	भरत सिंह	[signature]
16.		

[signature]
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट माफी
दि0 08/08/22

[signature]
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

Bhaniyawala (Dehradun) to Rishikesh Section

KML Image showing Forest and Non Forest Area

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

89

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– रैनापुर ग्रान्ट

तहसील– ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रैनापुर ग्रान्ट द्वारा दिनांक 08/08/022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रैनापुर ग्रान्ट के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट ग्रान्ट
दि0 08/08/2022

ग्राम प्रधान

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-चम्पा विहार, देहरादून

प्रपत्र — 23.1

परियोजना का नाम — उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक — 8/08/2022 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति**

ग्राम पंचायत का नाम — रैनापुर ग्रान्ट

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	देशपालसिंह	देशपालसिंह
2.	भरत चौहान	भरत चौहान
3.	केवल जी	केवलसिंह
4.	शमशेर सिंह रावत	[illegible]
5.	अमर सिंह रावत	[illegible]
6.	ललित मोहन	Lalit Moh
7.	Amar [illegible]	Amar
8.	[illegible] सिंह पवार	[illegible]
9.	Kuldeep Singh Banwar	[illegible]
10.	Birenda	[illegible]
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बडकोट माफी
दि0 08/08/022

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0-देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 20.600 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– बड़कोट माफी

तहसील– ऋषिकेश जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश, के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण** हेतु (आरक्षित वनभूमि 19.8345 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 19.8345 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़कोट माफी द्वारा दिनांक 08/08/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बरकोट माफी के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव (हस्ताक्षर)

संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट माफी
दि0 08/8/2022

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways

ग्राम प्रधान

प्रधान, ग्राम पंचायत बड़कोट
हस्ताक्षर सरिता
दिनांक
विकास खण्ड डोईवाला

92

प्रपत्र — 23.1

परियोजना का नाम — उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड (स्पर) के डिजाईन कि.मी. 0.000 से कि.मी. 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 19.8345 हे0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक — 08/08/2022 **को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति**

ग्राम पंचायत का नाम — बड़कोट माफी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सरिता	सरिता
2.	अनिलकुमार	Anil
3.	रमेश तिवारी	[signature]
4.	मोहित कपरुवाण	[signature]
5.	सीता देवी	सीता देवी
6.	बिजेन्द्र	[signature]
7.	जीत सिंह	[signature]
8.	रविन्द्र सिंह	रविन्द्र सिंह
9.	राजेश भट्ट	R. Bhatt
10.	सोवन सिंह पंवार	S. Panwar
11.		
12.	विजय लक्ष्मी	Vlaxmi
13.		
14.		
15.		
16.		

प्रधान ग्राम पंचायत बड़कोट, विकास खण्ड डोईवाला, देहरादून

[signature]
संजय कुमार वर्मा
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र बड़कोट माफी
दि0 8/08/022

[signature]
परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पी0आई0यू0–वसन्त विहार, देहरादून

93